सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 470/16 **निर्णय दिनांकः—07.05.2018**

1. सतपाल पुत्र किशोरीलाल जाति अरोड़ा साकिन अमरपुरा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 26—06—2002
उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

उपस्थिति :—

1. श्री नारायणदास खत्री, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 26—06—2002 जिसके द्वारा अपीलांट का आराजी काश्त आवंटन से पुख्ता आवंटन निरस्त किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली जाकर अपीलांट

की पात्रता के आधार पर ग्राम अमरपुरा के खसरा नम्बर 216 में तादादी 50 बीघा भूमि बारानी का आवंटन वर्ष 1971 को किया गया था। वर्ष 1973 तक वादगत् भूमि का नवीनीकरण अदालत मातहत द्वारा किया जाता रहा है। अपीलांट को टीसी में आवंटित भूमि आज भी अपीलांट के कब्जे काश्त में है। प्रार्थी को आवंटित भूमि चकबन्दी में आ चुकी है। प्रार्थी की दिमागी हालत ठीक नहीं होने के कारण उक्त भूमि का नवीनीकरण नहीं करवाया जा सका।

अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का टीसी आवंटन खारिज कर दिया गया। उक्त एकतरफा आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने पर अपीलांट की अपील रिमाण्ड की गई कि रकबे पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होन पर चकबन्दी में आने के कारण प्रार्थी के रकबे का नवीनीकरण किया जावे। अदालत मातहत द्वारा इन बिन्दुओं पर कोई विचार न करते हुए बिना सोचे समझे पुनः प्रार्थी का रकबा खारिज कर दिया गया। प्रार्थी ने बाद में निगरानी प्रस्तुत की गई, उक्त निगरानी भी खारिज की गई। इसके उपरान्त प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि अगर प्रार्थी के पुख्ता आवंटन का फार्म हो तो उस पर पूर्ण रूपेणा एसीसी कोलायत विचार करके एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त की स्थिति को देखकर नियमानुसार प्रार्थी को आवंटित रकबे का पुख्ता आवंटन किया जावे। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्यों पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत को केवल मात्र यह देखना था कि उक्त भूमि अपीलांट को आवंटित है अथवा नहीं? तथा उसका पट्टा खारिज किया गया है अथवा नहीं? दोनों की स्थितियॉ अपीलांट के पक्ष की है। वादगत् भूमि आज दिनांक तक अन्य को आवंटित नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को वादगत् आराजी का कब्जा सुपुर्द करते हुए अपीलांट के टी.सी. आवंटन को पुख्ता किये जाने के आदेश प्रदान करने चाहिए थे। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश तहसील हल्का की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना, बिना किसी युक्तियुक्त कारण अपीलांट के टीसी आवंटन को निरस्त किया गया है। जो काबिल निरस्त होने से निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि पर अपीलांट का कब्ज काश्त नहीं है। अपीलांट टी. सी. में आवंटित भूमि पर काबिज ना होकर अन्य भूमि पर काबिज है। अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गइ है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (अ) जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर अपीलांट को तहसील बीकानेर के ग्राम अमरपुरा में खसरा नम्बर 216 में रकबा 50 बीघा भूमि काश्त हेतु एक साला टी.सी. आवंटन की गई।

(ब) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को टीसी में आवंटित भूमि को एक वर्ष के लिए नवीनीकरण किया गया तथा तत्पश्चात् वर्ष 1974 में अपीलांट के टीसी आवंटन को निरस्त कर दिया गया। उक्त टीसी आवंटन के निरस्तीकरण के विरूद्व अपीलांट द्वारा विभिन्न उच्चतर न्यायालयों में चाराजोई किये जाने के उपरान्त भी अपीलांट का टीसी आवंटन बहाल नहीं किया गया।

(स) अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत किये जाने पर यह निर्देशित किया गया कि यदि अपीलांट द्वारा पुख्ता आवंटन का आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है तो उसे मेरिट पर निस्तारित किया जावे। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट द्वारा पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(द) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि वर्तमान में अस्थाई आवंटन पर रोक है तथा पूर्ण अस्थाई आवंटन को निरस्त होने के कारण नवीनीकरण का कोई प्रश्न नहीं उठता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के टीसी से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने में कोई अनियमितता नहीं है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने टीसी आवंटन के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर अपीलांट अर्थात टीसी आवंटी का कोई कब्जा काश्त साबित हो। टीसी से पुख्ता आवंटन में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि क्या आवंटी वादगत् भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष व न्यायालय हाजा के समक्ष अपनी टीसी में आवंटी भूमि पर कब्जे काश्त को साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र मियांद व गुणावगुण पर खारिज करने में कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है।

7. उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26—06—2002 उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर